कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

अपील संख्याः–44 / 2019 सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत

श्री अरविन्द कुमार सी / ओ अरविन्द किरयाना स्टोर वार्ड नम्बर 36
हनुमानगढ टाउन, तहसील हनुमानगढ, जिला हनुमानगढ़।

––अपीलार्थी

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, (राजस्व), हनुमानगढ।

––प्रत्यार्थी

आदेश दिनांकः–12.09.2019

सत्यमेव जयते

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी, (राजस्व), हनुमानगढ के सम्बन्ध में प्राप्त हुई। अपीलार्थी के अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रत्यर्थी से सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा एक माह से अधिक समय व्यतीत होने पर भी सूचना नही देने के कारण अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना दिलवाने हेतु यह अपील की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यार्थी से जवाब तलब किया गया।

उपखण्ड अधिकारी, (राजस्व), हनुमानगढ के पत्र कंमाक सू.का.अ. / 19 / 15 दिनांक 9.8.2019 से जवाब अपील प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रत्यार्थी की ओर से प्राप्त जवाब के अवलोकन से पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, (राजस्व), हनुमानगढ द्वारा अपीलार्थी को पत्र कंमाक 10 दिनांक [illegible]2019 से सूचित किया जाना पाया गया। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का यह कथन मान्य नही है कि उसे सूचना नही दी गई है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

Web Copy - Not Official

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ